न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0कृति व्यास , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या–101/2025 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

लालूराम पुत्र काना जी धाकड़, जाति धाकड़, उम्र 53 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी टाकरदा,पंचायत तम्बोलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

......प्रार्थीगण

विरूद्व

1. प्रकाश पिता जगनाथ जी धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी टाकरदा, पंचायत तम्बोलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. कैलाश पिता जगनाथ जी धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी टाकरदा, पंचायत तम्बोलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. उंकार पिता जगनाथ जी धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी टाकरदा, पंचायत तम्बोलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. डुगालाल पुत्र चुनीलाल धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी टाकरदा, पंचायत तम्बोलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. बरदीचन्द्र पुत्र देवा जी धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी टाकरदा, पंचायत तम्बोलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. देवीलाल पुत्र खैरिंग जी धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी टाकरदा, पंचायत तम्बोलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
7. शिवलाल पुत्र शंकरलाल धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी टाकरदा, पंचायत तम्बोलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
8. कन्हैया लाल पुत्र बरदीचन्द्र जी धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी टाकरदा, पंचायत तम्बोलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
9. लक्ष्मण पुत्र दौलाजी धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी टाकरदा, पंचायत तम्बोलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
10. मनीराम पुत्र ताराचन्द्र धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी टाकरदा, पंचायत तम्बोलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
11. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

...........विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित :– **श्री बाबूराम देराश्री**

अप्रार्थीगण की ओर से :– **अप्रार्थी सं0 01 से 10 एकतरफा**

अप्रार्थी सं0 11 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.18 16:24:01 IST
Reason: SelfAttested

दिनांकः– 11.11.2025

:: आदेश ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का [illegible] किया गया है कि ग्राम मौजा टाकरदा, प0ह0 तम्बोलिया, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड है जिसका खाता संख्या 198 खसरा संख्या 224, रकबा 0.9500, खसरा संख्या 225, रकबा 0.0600 है0, खसरा संख्या 226, रकबा 0.7300 है0, खसरा संख्या 227, रकबा 0.3200 है कुल किता 04 कुल रकबा 2.06

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम सम्पूर्ण खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 224, 225, 226, 227 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थीगण के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीगण की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थीगण पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 10 तक न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौजा टाकरदा, प0ह0 तम्बोलिया, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 198 खसरा संख्या 224, रकबा 0.9500, खसरा संख्या 225, रकबा 0.0600 है0, खसरा संख्या 226, रकबा 0.7300 है0, खसरा संख्या 227, रकबा 0.3200 है कुल किता 04 कुल रकबा 2.06 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थीगण से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kranti Vyas
Date: 2025.12.18 16:24:01 IST
Reason: SelfAttested